"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ . सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2002—पौष 9, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक F-6-11/दो/आठ-परि./02.—यत: राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का सं. 04) की धारा 68-घ की उपधारा (3) के अधीन स्कीम क्रमाक 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 एम, 32, 32 एम, 33, 41, 42, 42 एम, 51, 52, 52 एम, 57, 57 एम, 60, 61, 74 एवं 83 उनमें विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा परिवहन सेवा की व्यवस्था करने के लिये प्रकाशित की है.

और यत: राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य परिवहन निगम का गठन करना आवश्यक नहीं है. इस विनिश्चय के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में कोई राज्य परिवहन निगम नहीं होगा. छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य परिवहन निगम का गठन नहीं करने के कारण ऊपर उल्लेखित स्कीम छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वयमेव औचित्यहीन हो जाती है.

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 102 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा पूर्व प्रकाशित स्कीम क्रमांक 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 एम, 32, 32 एम, 33, 41, 42, 42 एम, 51, 52, 52 एम, 57, 57 एम, 60, 61, 74 एवं 83 छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकारिता के भीतर रद्द करती है, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 102 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है.

यह अधिसूचना दिनांक 31-12-2002 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

क्रमांक F-6-11/दो/आठ-परि./02.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30-12-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th December 2002

NOTIFICATION

No.F-6-11/दो/आठ-परि./02.—Whereas the State Government has published Scheme No. 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 M, 32, 32 M, 33, 41, 42, 42 M, 51, 52, 52 M, 57, 57 M, 60, 61, 74 and 83 under Sub section 3 of Section 68 "D" of Motor Vehicle Act, 1939 (No. 4 of 1939) for making arrangement for transport services by the MPSRTC in respect of the routes specified therein.

And whereas the State Government of Chhattisgarh has decide not to constitute a State Road Transport Corporation. As a result of this decision there shall not be any State Road Transport Corporation in the State of Chhattisgarh. Because of non constitution of a State Transport Corporation in the Chhattisgarh State, the Scheme mentioned above stand ineffective within the jurisdiction of Chhattisgarh.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 102 if the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) the State Government hereby cancel Scheme No. 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 M, 32, 32 M, 33, 41, 42, 42 M, 51, 52, 52 M, 57, 57 M, 60, 61, 74 and 83 in the jurisdiction of Chhattisgarh State, having been previously published as required by Sub-section (2) of Section 102 of said Act.

This notification shall be effective from 31-12-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. Vij, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.